



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 238]
No. 238]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, मार्च 8, 2007/फाल्गुन 17, 1928
NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 8, 2007/PHALGUNA 17, 1928

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2007

का.आ. 331(अ).—केंद्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 4 की उप-धारा (1) के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार, तत्कालीन खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास एवं सहकारिता मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4435, तारीख 29 सितम्बर, 1969 को अधिक्रान्त करते हुए, उन बातों के सिवाय ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, बीज परीक्षण प्रयोगशाला, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, वाराणसी, कृषि एवं सहकारिता विभाग को उक्त अधिसूचना के अधीन भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली को इसमें इसके पूर्व सौंपे गए कृत्यों को पूरा करने के लिए केंद्रीय बीज प्रयोगशाला घोषित करती है।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2007 को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 18-148/2006-बीज-IV]

एस. एल. भट, अपर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE
(Department of Agriculture and Co-operation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th March, 2007

S.O. 331(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 4 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), and in supersession of the notification of the Government of India, in the then Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Department of Agriculture) number S.O. 4435, dated the 29th September, 1969, except as respects things done or omitted to be done before such supersession the Central Government hereby declares the Seed Testing Laboratory, National Seed Research and Training Centre, Varanasi, Department of Agriculture and Co-operation as Central Seed Laboratory to carry out the functions herein before entrusted to the Indian Agricultural Research Institute, New Delhi under the said Notification.

2. This notification comes into force with effect from first day of April, 2007.

[F.No. 18-148/2006-SD. IV]

S. L. BHAT, Addl. Secy.